न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 114/2021 (2021/430) –प्रार्थी

किशनलाल पुत्र रामलाल कौम नाथ निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर ––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर जिला अजमेर

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,

आदेश दिनांक 9.11.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम बघेरा के खसरा नंबर 6/54 रकबा 4 बीघा था जिसके हाल खसरा नंबर 690 रकबा 0.49 है0 किस्म नहरी द्वितीय व खसरा नंबर 690/5456 रकबा 0.16 है0 किस्म नहरी द्वितीय कुल किता दो रकबा 0. 65 है0 है। प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात राजस्व रेकार्ड मे 4 बीघा दर्ज है जिसकी तरमीम राजस्व नक्शे मे पूर्व की स्थिति के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे भी तरमीम हो रखा है परन्तु वर्तमान मे रकबा बरारी छोटी कर दी है। जबकि पूर्व के राजस्व रेकार्ड के अनुसार ही वादी अपनी आराजी को काश्त करता आ रहा है। जिससे प्रार्थी को अनेकानेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है अत+ राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार केकड़ी से करवायी गयी।

तहसीलदार केकड़ी ने अपनी जॉच रिपोर्ट कार्यालय के पत्र कमांक/भू.अ./2021/4741 दिनांक 28.02.2021 से प्रस्तुत की है। तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के साथ भू अभिलेख निरीक्षक बघेरा व पटवारी बघेरा द्वारा प्रकरण मे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है पटवारी हल्का बघेरा/भू अभिलेख निरीक्षक बघेरा के अनुसार ग्राम बघेरा की जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता संख्या नया–पुराना 149–141 मे दर्ज खससरा नंबर 690 रकबा 0.49 है0 खसरा नंबर 690/5456 रकबा 0.16 है0 का नक्शा छोटा होने से नक्शा शुद्धि हेतु निवेदन किया है,की जांच पड़ौसी खसरो का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रकबा एवं राजस्व मानचित्र मे संबंधित खसरा नंबर की आकृति की रकबा बरारी से प्राप्त रकबा की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–
मौके पर प्रार्थी खातेदार का पुराना नक्शा के अनुसार कब्जा है पुराना नक्शा व वर्तमान राजस्व नक्शा का रकबा बरारी करने पर तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है।

खसरा नंबर	स्वामित्व का विवरण	जमबंदी मे दर्ज रकबा (हैक्ट.)	राजस्व मानचित्र मेब नी आकृति का रकबा बरारी करने पर प्राप्त रकबा (हैक्ट.मे)	राजस्व रेकार्ड के मुकाबले राजस्व मानचित्र मे रकबा की कमी बेशी का विवरण (हैक्ट.मे)	
				कमी	बेशी
690 690/5456	किशन लाल पुत्र रामलाल जमाबंदी के अनुसार	0.49 0.16	0.37 0.09	0.12 0.07	
691	रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ वगैराह जमाबंदी के अनुसार	0.44	0.40	0.04	
692	सिवायचक	0.15	0.27		0.12
693	नोरत पुत्र बद्री जमाबंदी अनुसार	0.51	0.61		0.10
		योग–		0.23	0.22

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भू अभिलेख निरीक्षक बघेरा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर साबिक मानचित्र के अनुसार हाल मानचित्र मे दुरूस्ती किया जाना प्रस्तावित किया है। रिपोर्ट मे अंकित नजरी मानचित्र मे लाल स्याही से प्रस्तावित दुरूस्ती को दर्शाया गया है। प्रार्थी के खातेदारी खसरों की आकृति का रकबा साबिक मानचित्र के मुकाबले हाल मानचित्र मे 0.19 हैक्ट.कम पाया गया है,साथ ही खसरा नंबर 691 की आकृति मे भी रकबा 0.04 हैक्टर कम पाया गया। खसरा नंबर 691 की आकृति का रकबा राजस्व रेकार्ड के अनुसार 0.44 हैक्ट.रखते हुए शेष बेशी रकबा 0.18 हैक्ट.प्रार्थी के खातेदारी खसरा नंबर 690 एवं 690/5456 मे भू अभिलेख निरीक्षक बघेरा की रिपोर्ट अनुसार शामिल करते हुए हाल राजस्व मानचित्र को दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की बहस सुनी गई। तहसीलदार केकड़ी की अनुशंषा के अनुसार, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरूस्ती किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

खसरा नंबर	स्वामित्व का विवरण	जमबंदी मे दर्ज रकबा (हैक्ट.)	राजस्व मानचित्र मेब नी आकृति का रकबा बरारी करने पर प्राप्त रकबा (हैक्ट.मे)	राजस्व रेकार्ड के मुकाबले राजस्व मानचित्र मे रकबा की कमी बेशी का विवरण (हैक्ट.मे)	
				कमी	बेशी
690 690/5456	किशन लाल पुत्र रामलाल जमाबंदी के अनुसार	0.49 0.16	0.37 0.09	0.12 0.07	
691	रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ वगैराह जमाबंदी के अनुसार	0.44	0.40	0.04	
692	सिवायचक	0.15	0.27	—	0.12
693	नोरत पुत्र बद्री जमाबंदी अनुसार	0.51	0.61	—	0.10
		योग–		0.23	0.22

तहसीलदार केकड़ी द्वारा दर्शित नक्शा अनुसार लाल स्याही से दर्शित क्षेत्र प्रार्थी की भूमि के नक्शा ट्रेस मे शामिल किया जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार केकड़ी राजस्च रेकार्ड व नक्शा ट्रेस मे अमल दरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
केकडी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Scanned with CamScanner